महिला विकास में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका

नुसरत*

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र महिला विकास में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका के विश्लेषण से सम्बन्धित है। भारत में महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्राप्त कराने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभिन्न सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा प्रचार माध्यमों से जागृति पैदा करके अपनी भूमिका को उजागर किया है। जिससे महिला विकास को एक नई दिशा मिली है एवं महिलाओं की स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है।

अध्ययन के उद्देश्य – महिला विकास के स्तर का अध्ययन करना, महिला विकास में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का अध्ययन करना, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध क्रियाविधिः–

प्रस्तुत शोध पत्र में विषय से सम्बन्धित तथ्यों के सकलंन हेतु द्वितीयक स्रोतो जैसे–पुस्तक, पत्र–पत्रिकाओं, शोध ग्रन्थों का अध्ययन किया गया है साथ ही विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

महिला विकास

विकास वह दशा है जिससे लोगों के जीवन की परिवर्तन प्रक्रिया में उनके कल्याण का उच्चतर जीवन स्तर आदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। जो प्रजातांत्रिक विकासशील राष्ट्र के लोगो की आशा आकांक्षाओं से संबद्ध होती है। यदि इसे मानव कल्याण को रूप में उनके पूरे सांस्कृतिक वातावरण से संबद्ध किया जाए तो विकास का अर्थ जन सामान्य के लिए सार्थक हो जाएगा अर्थात् विकास का तात्पर्य सदैव समाज के द्वारा उनकी सांस्कृतिक धरोहर व प्रतिमानों व दूसरो की रूचियों को नष्ट किये बिना ही उच्चता की ओर परिवर्तन से है। महिला विकास का तात्पर्य केवल महिलाओं पर किये जाने वाले सरकारी व्ययों की वृद्धि से नहीं है (जैसा कि सामान्यतः माना जाता है), अपितु उसके माध्यम से महिला वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक दृश्य तथा अदृश्य प्रभावों से किया गया है। महिला विकास के प्रमुख मापक है–

- महिलाओं के प्रति समाज के दृश्य दृष्टिकोण में परिवर्तन।
- महिलाओं में स्वयं की स्थिति में सुधार व विकास हेतु चेतना जागृत होना।
- उनके स्वयं के जीवन के प्रति आज्ञाकारी दृष्टिकोण तथा विचारधारा।
- विभिन्न अंधविश्वासों परम्पराओं व रूढ़ियों के प्रति उनकी भावनाओं में परिवर्तन।
- राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में उनकी रूचि का प्रादुर्भाव।
- स्वयं को अबला के स्थान पर सबला समझ पाने तथा शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की प्रवृत्ति का बीजारोपण।
- जीवन के हर क्षेत्र व हर पहलू के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति तथा उनकी जागरूकता के कारण समाज की अनेक विकारपूर्ण स्थितियों का विघटन।

यह आवश्यक नहीं है कि सरकारी व्ययों की राशि महिलाओं को प्रत्यक्षतः प्रभावित करे बल्कि बार–बार सरकारी प्रलेखों, विभिन्न वार्षिक योजनाओं में महिला विकास शब्द की पुनरावृत्ति ही उनमें स्वयं को महत्त्वपूर्ण समझे जाने की भावना जागृत कर उनकी आत्म चेतना को झकझोरती है तथा उन्हें स्वयं में आत्मनिर्भर होने तथा स्वावलम्बी बनने की प्रेरणा देती है जो कि किसी भी पक्ष के विकास हेतु अधिक आवश्यक है।

*शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।

महिला विकास के समक्ष समस्याएँ

महिलाएँ किसी भी समाज का एक अभिन्न अंग है। उनकी शक्ति को आदिकाल से ही पहचाना जा चुका है। यही कारण है कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है फिर भी उन्हें सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्वतंत्रता से पहले महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी, किन्तु संविधान निर्माण के समय महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता का अधिकार प्रदान करने हेतु विशेष रूप से प्रावधान किये गये। भारतीय साहित्य में भी महिलाओं पर हुए अत्याचारों को कविताओं लेखो, नाटकों, आदि के माध्यम से उजागर किया गया है। हमारे साहित्य में कहा गया है कि नारी जगत की जननी है, जो विश्व का पालन–पोषण करती है परंतु उसकी सदा निंदा की जाती रही है। उसका सदैव उत्पीड़न एवं शोषण होता रहा है। समाज में प्रत्येक स्थान पर उसके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ होता है। पुलिस भी महिलाओं पर आक्रमण होते हुए देखकर भी अनदेखा कर देती है। बलात्कार, दहेज, उत्पीड़न, हत्या आदि के जो मामले प्रकाश में आते है, उनमें से ज्यादातर दोषी व्यक्ति सबूतों के अभाव में छूट जाते है। देश के कई हिस्सों में बाल विवाह की त्रासदी कन्याएँ भोग रही है। महिलाओं को जलाकर मारना, तरह–तरह की शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं देना, अपहरण करके वेश्या बना देना आदि आज सामान्य बात हो गयी है।

महिलाओं को न केवल देश में अपितु सम्पूर्ण विश्व में एक सम्माननीय स्थान प्रदान करने हेतु वर्ष 1975 को 'विश्व महिला वर्ष ' घोषित किया गया था। इसके पश्चात् अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये गए, परंतु महिलाओं की दशा में विशेष सुधार नहीं हो पाया। महिलाएँ चाहे वे ग्रामीण हो या शहरी, हिंसा की शिकार होती रहती हैं जिस कारण न तो वे अपने मानव अधिकारों का उपयोग कर पा रही हैं और न ही देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में अपना सहयोग दे पा रही हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपेक्षा, भेदभाव, प्रताड़ना एवं अत्याचारों आदि का सामना करना पड़ता है।

हाल ही में पारित कानून महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने से सम्बद्ध है। विश्व में केवल पाँच देशों में ही महिलाएँ संसद की 30 प्रतिशत सीटों पर आसीन है, जबकि 36 देशों में 5 प्रतिशत से भी कम संसदीय पद उनके पास है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार कराई गई। 10 वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आज भी विश्व में सबसे बड़ा भेदभाव लिंगभेद है।

सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की स्थिति लगभग इसी प्रकार की है। विश्व में अधिकत्तर महिलाएँ अज्ञानवश, अशिक्षा, धार्मिक प्रतिबंध या पति या घर वालों की इच्छा के कारण 'जनन' पर नियंत्रण नहीं कर पाती। इस कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किशोरियों का अपहरण तथा उनके साथ दैहिक शोषण की घटनाएँ बढ़ रही हैं। बांग्लादेश व नेपाल से लड़कियों की तस्करी एक बड़ा धंधा बना हुआ है। बाल वेश्यावृत्ति में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका मुख्य कारण गरीबी है। पिछले 50 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का प्रसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ किए जा रहे भेदभाव को दूर करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों में कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए है। महिलाओं की स्थिति से सम्बद्ध आयोग ने 1974 की अपनी रिपोर्ट में महिलाओं के साथ भेदभाव का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि "लिंग के आधार पर विशिष्टता प्रदान करना, वंचित करना या प्रतिबंध लगाना जिसकी परिणति या प्रभाव मानव अधिकारों को नकारने या उनका उपभोग करने से रोकने में हो तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में मूलभूत स्वतंत्रताओं के हनन के रूप में हो। इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक आयोगों का गठन किया गया है जिससे महिलाओं का विकास हो सकें।

राष्ट्रीय महिला आयोग

महिलाओं कि सुरक्षा हेतु बनाये जा रहे कानून कठोरता से लागू ना होने के कारण उन पर अपराधों कि संख्या में बढ़ोत्तरी हुई। यह कहना गलत ना होगा की महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे–जैसे नये–नये कानून बनाये जा रहे हैं तथा प्रशासनिक उपाय किये जा रहे हैं, वैसे–वैसे महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बलात्कार, छेड़खानी, शारीरिक, मानसिक यातनायें तथा दहेज हत्याऐं ऐसे अपराध है, जिनका सामना सिर्फ महिलाओं को ही करना पड़ता हैं। भारत में महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनवरी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए भी हर राज्य में महिला आयोग की शाखा का गठन किया गया। यह आयोग संवैधानिक संस्था है एवं महिलाओं के

अधिकारों के प्रति सजग है। यह आयोग मुख्य रूप से लड़कियों एवं महिलाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबधित विषयों पर विशेष प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

21वीं सदी के प्रारम्भ होते ही प्रत्येक क्षेत्र मे परिवर्तन एवं विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के साथ महिला अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता 498 के अंतर्गत महिला को परेशान करने, उस पर जुर्म करने, उसे परेशान करने वाला वातावरण निर्मित करने तथा उस पर हिंसा के खिलाफ दंड का प्रावधान हैं महिला अधिकारों का हनन रोकने, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं का गठन किया गया हैं, जो महिलाओं को शोषण से मुक्त कराकर अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1919 के आधार पर सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 100 (ई) का माध्यम राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी सन् 1992 में की गयी। इस आयोग को कई दायित्व सौपें गये है जैसे–महिलाओं के लिए उपलब्ध कराये गये संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों सम्बन्धी सभी मामलों का अध्ययन करना और प्रबोधन करना, महिलाओं सम्बन्धी मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और जहाँ आवश्यक हो, "संशोधन के लिए सुझाव देना" आदि। यह महिलाओं के अधिकारों की संरचना सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में शिकायतों की जाँच करता हैं और उन पर स्वप्रेरणा से ध्यान देता है ताकि आशायें महिलाओं को कानूनी अथवा अन्य किस्म की सहायता दी जा सकें। आयोग महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनायें गये सभी कानूनों के समुचित कार्यान्वयन का प्रबोधन करता हैं ताकि वे जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त कर राष्ट्र के विकास में सहयोगात्मक भूमिका निभा सकें।

राष्ट्रीय महिला आयोग का संगठन

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में आयोग के गठन, कार्य एवं शक्तियों का विवेचन किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग को बहुसदस्यी बनाया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष, पांच सदस्य एवं एक सदस्य सचिव होता है। अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में ऐसी महिलाओं को रखा जाता है जो उच्च आयोग प्रतिष्ठा एवं विधि, प्रबन्ध महिला कल्याण तथा श्रमिक संगठनों के क्षेत्र से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा श्रीमती जयन्ती पटनायक को बनाया गया था। उसके बाद 1995 में श्रीमती मोहनी गिरी एवं 1998 में श्रीमती विभा पार्थसारथी को अध्यक्ष बनाया गया। सचिव के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग का अध्यक्ष कार्य करता है। वर्तमान मे इसके संगठन को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है–राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य–5–सदस्य सचिव।

महिला आरक्षण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग

जहाँ तक महिला आरक्षण का सवाल है, अक्षर महिला उत्थान कार्यक्रम व महिला आन्दोलनों से जुड़ी महिला नेत्रियो का मानना है कि अब वह दिन दूर नही, जब राजनीति में आधी आबादी यानी महिलाओं का दबदबा होगा। यह दावा करने वाला पक्ष बराबर यह कहता हैं कि राष्ट्रीय निर्माण व विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण रही हैं और इसीलिए आज जब महिलाओं को राजनीति में गैर बराबरी का सामना करना पड़ रहा है, तो यह चिन्ताजनक बात हैं। ऐसे में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण उन्हें न केवल राजनीति में शिरकत का मौका देगा, बल्कि समाज में नये युग का सूत्रपात भी करेगा दूसरा पक्ष इससे ठीक उल्टा यह दावा करता है कि दरअसल नारी शक्ति को सही पहचान देना जरूरी हैं। सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, रोजगार सब में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, अन्यथा महिलाए सक्षम नेतृत्व देने की बजाये पुरूष स्वार्थ और राजनीति मंशा पूरी करने वाली रोबोट बन जाएगी। इन दोनो ही पक्षो के तर्क अपने–अपने तौर पर देश के 40.1 प्रतिशत महिला संसाधन के उत्थान व प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। विभिन्न क्षेत्रो में लम्बे समय से जुड़ी महिलाएँ इस विषय पर क्या सोचती है? क्या उन्हें राजनीति में मौजूद अपनी बहनों को निर्णायक भूमिका मे देखने के लिए तैतीस प्रतिशत आरक्षण की जरूरत महसूस होती हैं ?

प्रसिद्ध लेखिका और भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा मृदुला सिन्हा बताती है कि पहले वह महिला आरक्षण के बिल्कुल विरोध में थी। उन्हें लगता था कि महिलाओं को अपनी प्रतिभा के बल पर आगे आना चाहिए लेकिन पूरी परिस्थिति का आकलन करने पर उन्हें यही लगा कि बिना आरक्षण की वकालत किये कुछ भी हासिल करना संभव नहीं। यदि कोई पार्टी यह चाहे, तो भी अकेले कुछ नही कर सकती। आरक्षण होगा तो सभी के हाथ बंधेगे। सुश्री सिन्हा का मानना है कि आज जब अनेक महिला मेयर काम कर रही है, और राजनीति में अपनी

भागीदारी बढ़ा रही हैं, तो वह आगे आने वाले समय के लिए प्रशिक्षित ही हो रही हैं चूंकि प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए उन्हे विधान सभाओं और लोकसभा में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

इसमें कोई दोराय नहीं कि मानव प्रगति का आधार नारी ही है। अपने जीवन को उसने कभी अपने लिए न जिया, वरन् सदा ही अपनी भावना, अपनी ममता दूसरों के लिए लुटाती रही, परन्तु प्रश्न उठता है कि आज के पुरुष प्रधान समाज में नारी की क्या स्थिति है? आजादी के पश्चात भी क्या वह स्वतंत्र हो पायी है न जाने कितने जुल्म, उत्पीड़न, हिंसा को वह सहती आ रही है। अनेक कानूनों के बावजूद भी वह स्वयं को कितना असुरक्षित महसूस कर रही है। बीसवीं शताब्दी के हिन्दुस्तान के सुसंस्कृत और स्वतंत्र विचारों वाले समाज में क्या नारी एक 'वस्तु' और 'उपभोग्या' से ज्यादा कुछ नहीं है। संविधान में सर्वाधिकार प्राप्त होने पर भी उन अधिकारों के प्रति जागरूक कही जाने वाली महिलाओं की संख्या अल्प है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में जब महिलाओं के अधिकारों की बात को लेकर विश्व भर का बुद्धिजीवी वर्ग कुछ जागृत हो उठा था, उस समय सरकार ने एक अध्यादेश भी जारी किया था कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाये। सरकारी नौकरियों में आज यह भेद प्रायः मिट चुका है किन्तु निजी क्षेत्रों में आज भी स्थिति शोचनीय है। आज नारी की अस्मिता पर खतरा आ गया है। नारी की अस्मिता को दबाया, कुचला जा रहा है और उसी का परिणाम है कि आज नारी टूट रही है कोई भले न माने, पर नारी घर की नारी है। नारी पुरुष की पत्नी हीं नहीं वह परिस्थितियों की जननी है। वह धरती है। बिना धरती के कुछ उपजाया नहीं जा सकता, परन्तु आज वहीं नारी कांच की गुड़िया बनी है। आज भी ऐसा रुढ़िवादी वर्ग हमारे समाज में हैं जो यह कहते नहीं थकता कि बाहर निकलकर काम करने वाली महिलायें गृहणी एवं मां के कर्त्तव्यों की उपेक्षा करती है। उनकी यह कुंठाग्रस्त विचारधारा महिलाओं की उन्नति एवं उनकी योग्यता के सदुपयोग मे अत्यधिक बाधक है। मातृत्व एवं पत्नित्व तो नारी का स्वाभाविक गुण है, जिसका शिक्षा के साथ–साथ अधिक विकास हो जाता है। इससे एक सुन्दर परिवार का निर्माण होता है।

दूसरी तरफ दृष्टिपात किया जाये तो उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की एक समस्या बन जाती है और कभी–कभी ऐसा भी देखा गया है कि दहेज के अभाव में आयोग्य वरों को सौंप दी जाती है। जिससे यह विवाह अभिप्राय सिद्ध होते है और प्रायः टूट भी जाते है। हमारे समाज का कुछ ढांचा भी ऐसा है कि इस प्रकार की लड़कियां न इधर की रहती हैं और न उधर की। इन समस्याओं के साथ–साथ शिक्षित महिलाओं की कठिनाइयों पर विचार करने की भी आवश्यकता है जो सक्रिय रूप से कार्यक्षेत्र में रहती है। इस क्षेत्र में अविवाहित महिलाओं के आवास गृहों की व्यवस्था है पर वह भी कहने भर के लिए। कठिनाइयों के कारण यहां अविवाहित महिलायें सामाजिक भ्रष्ट तत्वों का शिकार हो जाती है। इस बीच महिलाओं के कई संगठनों ने अत्याचारों के विरुद्ध आवाज जरूर उठायी है किन्तु आज जनजागृति के अभाव में उसकी आवाज दब सी गयी है। इस दशा में न्याय व्यवस्था से कोई अपेक्षा किये बिना एक ऐसी सामाजिक चेतना जागृत करना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार प्रदान किया जाऐं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य

1. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा–10 के अन्तर्गत आयोग को सौंपे गये विभिन्न कार्यों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है–
2. केन्द्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। यदि किसी मामले में आवश्यकता हो तो सम्बन्धित राज्य सरकार को भी प्रतिवेदन भेजना।
3. महिलाओं के समग्र विकास प्रोन्नति तथा शैक्षणिक अभिवृद्धि हेतु शोध कार्य करवाना।
4. महिलाओं की किसी विशिष्ट समस्या, भेदभाव, छुआछूत आदि पर खोजबीन करना तथा निवारण हेतु उपाय बतलाना।
5. महिलाओं से सम्बद्ध वर्तमान कानूनों के प्रावधानों की समय–समय पर समीक्षा करना तथा उनमें किसी प्रकार की गलती होने पर सरकार को इसमें संशोधन के लिए सुझाव देना।
6. सुधार–गृहों, कारागृहों आदि स्थानों पर जहाँ महिलाओं को हिरासत में रखा जाता है, का निरीक्षण करना तथा उनके पुनर्वास एवं सुधार सिफारिश करना।
7. महिलाओं को प्रदत्त कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच पड़ताल और समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को सुझाव देना।

महिला विकास में आयोग की भूमिका

देश में महिलाओं को समानता, न्याय एवं सम्मान दिलवाने में राष्ट्रीय महिला आयोग ने 1992 से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आयोग द्वारा देश में ऐच्छिक एवं गैर–सरकारी संगठनों के साथ अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। आयोग ने महिला विकास के क्षेत्र में सामाजिक चेतना, तलाक तथा क्षतिपूर्ति, महिला श्रमिक, न्यायिक निर्णयों, पारिवारिक न्यायालयों, पंचायती राज की व्यवहारिकता, महिला अधिकार शिक्षा आदि के क्षेत्र में शोध तथा व्यवहारिक कार्य किया है। आयोग ने देश में दहेज निरोधक कानून, सती निरोधक, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए के तहत महिलाओं से हिसंक व्यवहार में सजा, हिन्दू विवाह अधिनियम, बाल विवाह निरोधक कानून, मिजों तथा तलाक सम्बन्धी कानून, अनिवार्य विवाह तथा तलाक पंजीकरण कानून, द्वि–विवाह कानून, विवाह कानून, बच्चे को गोद लेने सम्बन्धी कानून, बच्चों एवं महिलाओं के यौन–शोषण सम्बन्धी प्रस्तावित अधिनियमों से सम्बन्धि मामलों में सरकार को सकारात्मक सुझाव दिये हैं तथा इन्हें विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग निरन्तर यह प्रयास कर रहा है कि देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी बन सके। अपने इस प्रयास में वह संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों एवं अन्य सम्बन्धित अभिकरणों एवं व्यक्तियों से भी सहायता ले रहा है। आयोग की पहल पर ही देश के नौ राज्यों (राजस्थान सहित) में राज्य महिला आयोग का गठन हो चुका है। आयोग ने राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों से आग्रह करके 10 वर्ष अथवा इससे अधिक समय में सजा काट रही महिलाओं की मुक्ति तथा उनके बच्चों को समुचित सुविधा दिलवाने में भी आयोग महिलाओं को राहत पहुँचता है। वर्तमान में महिलाओं से सम्बन्धी शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जो सरकार इस आयेाग से परामर्श न करती है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयेाग ने अपने विभिन्न सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा प्रचार माध्यमों से महिलाओं में जागृति पैदा की है।

निष्कर्ष:–

राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिन्ताओं के लिए एक आवाज प्रदान करना है। आयोग ने अपने अभियान में प्रमुखता के साथ दहेज, राजनीति , धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व के श्रम के लिए महिलाओं के उत्पीड़न एवं शोषण को शामिल किया गया है साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली–गलौच को भी गंभीरता से लिया गया है लेकिन महिलाओं को पुरूषों के जुर्म, हिंसा और अन्याय से बचाने के लिए जिस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है वे अपने मकसद में ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा है। ये ठीक है कि आयोग में शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है लेकिन यहा गौर करने वाली बात यह है कि आयोग में शिकायत लेकर पहुँचने वाली महिलाओं में अधिकांश संख्या उनकी है जो न केवल पढ़ी–लिखी है बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ–साथ अपने अधिकारों को पहचानती भी है। लेकिन गाँव की अनपढ़, कम पढ़ी लिखी और दबी–कुचली महिलाओं की आवाज इस आयोग में नहीं सुनी जाती है। राष्ट्रीय आयोग ये कहकर उनकी आवाज अनसुनी कर देता है कि उनके लिए राज्य आयोग है और इस मामले में राष्ट्रीय आयोग क्या कदम उठा रहा है इस पर आयोग पल्ला झाड़ लेता है। किसी घटना के होने पर महिला आयोग ने तुरंत प्रतिक्रिया तो दी लेकिन वास्तव में उसने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। आरूषि हत्याकांड मामले में तो आयोग की कार्यशैली पर ही सवाल उठ गए। आयोग में शिकायतों का ढेर लगा है, लेकिन निपटाने वाला कोई नहीं है यदि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कुछ कार्यों पर दृष्टि डाले तो आयोग ने उत्पीड़ित महिलाओं को राहत और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून तथा अप्रवासी भारतीय पतियों के जुल्मों और धोखे की शिकार या परित्यक्त महिलाओं को कानूनी सहारा देने के लिए आयोग की भूमिका सराहनीय रही है। लेकिन अभी भी परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए बने कानून पर्याप्त है, किन्तु यह अपराधिक गतिविधियों को रोकने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि इन्हें कठोरता से लागू नही किया गया हैं। यदि महिलाओं के विकास पर यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो देश एव समाज की उन्नति संभव नहीं हैं।

सुझावः—

1. राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं की सुरक्षा तथा हितों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
2. महिलाओं तथा लड़कियों की उस शिक्षा के लिए तथा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हॉस्टलों की स्थापना करनी चाहिए।
3. महिलाओं के खिलाफ भयावह अपराधों को रोकने के लिए अन्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर रणनीति बनानी चाहिए।
4. राष्ट्रीय महिला आयोग को राज्यों में महिलाओं के व्यवसायिक मार्गदर्शन करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए।
5. इसके अलावा, महिला न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए।

सन्दर्भ सूचीः—

1 माथुर डॉ0 सावित्रि, महिला आरक्षण एवं सामाजिक परिवर्तन, आदित्य पब्लिकशिंग हाउस जयपुर, 2012
2 आशुरानी डॉ0, महिला विकास का कार्यक्रम, इन श्री पब्लिशर्स जयपुर, 2006
3 झनकाट डॉ0 एच.डी. , महिला उत्पीड़न एवं समाज, रावत प्रकाशन नई दिल्ली, 2015
4 गुप्ता डॉ0 सुभाष चन्द्र, वृद्ध महिलाओं की उपेक्षा, शोषण एवं समस्याएँ, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 2012
5 खंडेला मानचन्द्र, महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2008
6 चित्रौड़ा डॉ0 निर्मला के0, सामाजिक परिवर्तन के दौर में महिलाएँ, रावत प्रकाशन, दिल्ली, 2015
7 प्रसाद डॉ0 गोविन्द, महिला एवं बाल श्रमिक, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 2007